

अहकाम जो हुक्म
की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

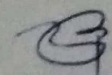
नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुक्म
की तामील में जारी हुए

किया।

प्रार्थन पत्र अस्थायी विवेचना के
निर्णय के लिए अनिवार्य तौर पर निम्न
प्रथम दृष्टया मामला सुनियता का सन्तुष्ट
क अपूरणीय आले के लिए प्रार्थनपत्र के
पक्ष में लोने व प्राथमिक राजस्व
रिकॉर्ड में खातेदार की हेफिअर रखने
के कारण प्रार्थन पत्र स्वीकार योग्य
होने से प्रार्थन पत्र स्वीकार किया
जाता है।

अन्तरिम अस्थायी विवेचना
दिनांक 01/01/2024 को ~~समिति~~ ~~Confidential~~
किया जाता है। प्रतिकारित्य लेखा 1 व 2
पर अन्तरिम अस्थायी विवेचना के 01/01/24
के आदेश प्रभावी तात्कालिकता रखे।

पत्रावली के तहत सुमार लेखा
नम्बर के अन्तर्गत जो दाखिल 01/01/24 को
हम किया है।
निर्णय परे राजस्व सुनियता प्रथम


उपखण्ड अधिकारी
देवली (संज)